



2026:AHC-LKO:19959

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1533/2026**

हारुन

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पवन कुमार पांडे

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, कुमारी मधुरिमा भार्गवा

न्यायालय संख्या - 15**न्यायमूर्ति माननीय करुणेश सिंह पवार**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामा अभिलेखों पर लिया गया है।

शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मधुरिमा भार्गवा द्वारा दायर वकालतनामा अभिलेखों पर ले लिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरोपी-आवेदक ने पुलिस स्टेशन कच्छौना, जिला हरदोई में पंजीकृत अपराध संख्या 0035/2026, अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 117(2), 3(5), 126(2) और 109(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 में जमानत मांगी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोप है कि आरोपी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके पति सलीम और अन्य लोगों, अर्थात् अली जान, जान मोहम्मद, शान मोहम्मद, वहीद, मोहम्मद जान और साहिल पर लाठियों से हमला किया और उन्हें जान से मारने की नीयत से पीटा, तथा उनके गले में पहनी हुई चेन और ऑल्टो कार में रखी ₹20,000 की नकदी भी लूट ली गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक लगभग 21 वर्ष का युवक है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता ने धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में आवेदक का नाम नहीं लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक 29.01.2026 से जेल में बंद है।

उन्होंने आगे कहा कि आवेदक के न्याय से भागने या अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं का खंडन नहीं कर सके।

अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि घायल शान मोहम्मद और अली जान को कठोर और कुंद वस्तु से मामूली चोटें आई हैं। घायल सलीम को सिर में गंभीर चोट आई है, जिसमें बाईं पार्श्विका हड्डी का दबा हुआ फ्रैक्चर और अंदरूनी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कंट्रैजून के साथ, दाईं ओर की टेम्पोरो-पैरिएटल हड्डी का फ्रैक्चर शामिल है। घायल व्यक्तियों, अर्थात् सलीम, मोहम्मद जान और अली जान को चिकित्सा उपचार के लिए केजीएमयू भेजा गया था, और सलीम 26.01.2026 से 11.02.2026 तक अस्पताल में भर्ती रहा। घायल फ़िरदौस को मामूली चोटें आई हैं। उक्त पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में वर्तमान आवेदक का नाम नहीं लिया है।

यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 12 व्यक्तियों के साथ-साथ 50-60 अज्ञात व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले से यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों में से किसने सलीम को गंभीर चोट पहुंचाई।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक लगभग 21 वर्ष का एक युवक है; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; शिकायतकर्ता ने उसका नाम नहीं लिया है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप है; वह 29.01.2026 से जेल में बंद है; इस मामले में कई नामजद और अज्ञात आरोपी शामिल हैं, इसमें किसी की भूमिका का स्पष्ट निर्धारण नहीं है; अभियोजन पक्ष के मामले से यह स्पष्ट नहीं है कि सलीम को गंभीर चोट किसने पहुंचाई; और आरोपी की ओर से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 033/2026 अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 351(3), 324(4) बीएनएसएस, पुलिस स्टेशन, जिला हरदोई (क्रॉस एफ.आई.आर) दर्ज की गई है। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस प्रकरण में आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित मानता हूँ।

तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त प्रथमसूचना रिपोर्ट/मामले संख्या में आरोपी आवेदक **हारून** को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान धनराशि के दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

मामले की परिस्थितियों में विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे की गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

18 मार्च, 2026

मधु जूनियर/पीएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।